न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड जिला अजमेर (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 31/2015

रंगलाल पुत्र श्री किशन जाति जाट निवासी अजगरी तहसील सरवाड़ जिला अजमेर
——प्रार्थी

बनाम

1.छोटू पुत्र श्रीकिशन जाति जाट निवासी अजगरी तहसील सरवाड़ जिला अजमेर ।
2.श्रीमति रामेश्वरी पत्नी छोटू जाति जाट निवासी अजगरी तहसील सरवाड़ जिला अजमेर
3.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़
4.सब रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार कार्यालय तहसील परिसर सरवाड़ जिला अजमेर
——अप्रार्थीगण

अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0 अधिनियम

उपस्थित :– श्री एन0सी0जैन– वकील प्रार्थीगण
कोई हाजिर नही –एक्स पार्टी अप्रार्थीगण

आदेश

दिनांक 28.03.16

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद अंतर्गतधारा 53.88,188,209 राजस्थान टेनेन्सी एक्ट का पेश किया तथा उसकें साथ यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम अजगरी तहसील सरवाड़ की जमाबंदी संवत् 2065–68 में. निम्न वर्णित आराजीयात स्थित है ।

खाता संख्या नया–पुराना	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
161–130	18	06.09.00	चा0ए

प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 आपस मे एक ही परिवार के सदस्य होकर सगे भाई है तथा अप्रार्थी संख्या 2 अप्रार्थी संख्या 1की पत्नी है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि मे 1/2 हिस्सा है एवं उक्त हिस्सा ही उसके जीवनयापन का एकमात्र सहारा है इसी हिस्से मे प्रार्थी काश्त कर अपना जीवन यापन गुजर बसर कर रहा है । इसके अलावा उसके जीवन यापन का और कोई सहारा नहीं है । वाद वर्णित आराजी संयुक्त होने से पक्षकारान मे आपस मे आये दिन विवाद होता रहता है । तथा आराजीयात की तरक्कीयात मे बाधा रहती है । इसलिए प्रार्थी ने अप्रार्थी को वाद वर्णित आराजीयात का विभाजन करने बाबत् कही मर्तबा कहा तो टाला–टोली का जवाब देते रहे किन्तु अब अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की नियत खराब हो गयी है एवं वे ऐन–केन प्रकारेण प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ जिला–अजमेर

Scanned by CamScanner

को उसके हक हिस्से की वादवर्णित आराजीयात से बेदखल करने उस पर अपना आधिपत्य करने दीगर को रहन बेचान हस्तानांतरण करने पर दिनांक 18.04.15 से आमादा हो रहे है । वादवर्णित भूमि काफी कीमती है एवं वे दिनांक 20.04.15 से आये दिन अपने नाजायज प्रलोभन के लिए जयपुर व दिल्ली व बाहर के धनाढ्य लोगो को जमीन विक्रय करने के दुराशय से आये दिन आराजीयात पर ला रहे है एवं भूमि विक्रय करने पर तुले हुए है । तब प्रार्थी ने व उनके रिश्तेदारों ने बिना विभाजन किये आराजीयात विक्रय हस्तानांतरित नहीं करने बाबत् निवेदन किया तो वे आश्वासन देते रहे किन्तु 21.04.15 को कतई इन्कार हो गये व कहां कि हमारे जँचेगे जो ही करेगे । जिससे उक्त स्थिति मे प्रार्थी को वाद पेश करना आवश्यक हुआ है । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 अपने उक्त नाजायज उद्देश्य मे सफल हो जाते है एवं बगैर विभाजन किये वाद वर्णित बहुमूल्य आराजीयात को दीगर को रहन बेचान हस्तान्तरण इत्यादि करने मे सफल हो जाते है तो इससे प्रार्थी को अपूर्तियुक्त क्षति होगी व बहुवाद कार्यवाहियों का सामना करना पडेगा । प्रार्थी के साथ घोर अन्याय होगा व भूखों मरने की स्थिति आ जावेगी । जिससे न्यायहित मे अप्रार्थीगण को ऐसा न करने हेतु मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना आवश्यक होकर न्यायसंगत है । प्रार्थी गरीब व्यक्ति है जिससे उसके हितो की रक्षा किया जाना न्यायहित मे आवश्यक है । वादवर्णित भूमि का विधिवत् विभाजन किया जाकर पृथक से प्रार्थी के नाम जमाबंदी कायम की जाकर व लगान कायम किया जाना व राजस्व नक्शे मे तरमीम किया जाना आवश्यक है अप्रार्थी संख्या 3 लैण्ड लोर्ड होने से ,आवश्यक फरीक मुक्दमा होनें से पक्षकार बनाया गया है । अप्रार्थी संख्या 4 के यहॉ दस्तावेज पंजीबद्ध होते है जिससे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा वादवर्णित भूमि बाबत् हस्तान्तरण विलेख विक्रय पत्र इत्यादि पंजीयन हेतु पेश करने की स्थिति मे पंजीबद्ध करने से उन्हे भी रोका जाना आवश्यक है । प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष मे है । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 व उनके नोकर चाकर एजेन्ट आदि को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा वाद वर्णित आराजी को वगैर विभाजन दीगर को विक्रय हस्तान्तरित करने खुर्दबुर्द आदि करने से पाबंद किया जावे व प्रार्थी के संयुक्त कब्जेकाश्त उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा डालने से रोका जावे जिससे प्रार्थी वाद वर्णित आराजी मे अपने हक हिस्से उपयोग उपभोग से वंचित हो तथा अप्रार्थी संख्या 4 के यहॉ अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा विक्रय पत्र हस्तानान्तरण पत्र इत्यादि पंजीयन हेतु पेश करने की स्थिति मे उन्हे भी पंजीबद्ध करने से रोका जावे ।प्रकरण इस न्यायालय के श्रवणाधिकार का होने से श्रवणार्थ स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थीगण की पुत्री को सम्मन/नोटिस तामिली के बावजूद हाजिर नहीं होने पर उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही दिनांक 03.09.2015 को अमल मे लायी गयी ।

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री एन0सी0जैन की बहस सुनी गई· बहस प्रारंभ करते हुए कथन किया कि ग्राम अजगरी तहसील सरवाड़ की जमाबंदी संवत् 2065–68 के खाता संख्या नया –पुराना मे दर्ज खसरा नम्बर 18 रकबा 06.09.00 बीघा चा0ए

उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़ जिला–अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 की संयक्त खातेदारी मे दर्ज है । अप्रार्थीगण प्रार्थी के संयुक्त कब्जे काश्त मे बाधा उत्पन्न कर रहे है अतः अप्रार्थीगण को प्रार्थी के संयुक्त कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न करने से रोका जावे । एवं ऐसा कार्य करने से रोका जावे जिससे प्रार्थी वाद वर्णित आराजी मे अपने हक हिस्से उपयोग उपभोग से वंचित हो ।

मेरे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस पर गौर किया, पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वादवर्णित आराजी मे हक अधिकार का प्रश्न दस्तावेजात व शहादत के आधार पर मूल वाद मे तय होगा । इस न्यायालय को अभी केवल यह देखना है कि प्रार्थी –अप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार है अथवा नही ? अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु तीनो सारभूत बिन्दु प्रार्थी अपने पक्ष मे साबित कर पा रहा है अथवा नही ? यह देखना जरूरी है कि प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पर वाद दायरी के दिन कब्जा किसका था ? प्रार्थी रंगलाल का कब्जा दावा दायरी के दिन विवादित आराजी पर होना सिद्ध होता है । अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी के संयुक्त कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग मे मूल वाद तक बाधा उत्पन्न नही करे तथा न ही ऐसा कोई कार्य करे जिससे प्रार्थी को वादवर्णित आराजी मे अपने हक हिस्से उपयोग उपभोग से वंचित होना पडे । यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का निर्धारण नही करता है । हक अधिकार का प्रश्न मूल वाद मे तय होगा। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे ।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(घनश्याम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सरवाड़

Scanned by CamScanner